संख्या-10/2021/4668(2) /96-आयुष-1-2020-100/2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
यूनानी सेवायें
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2021**

विषय- राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में 04 अदद टायलेट, 04 अदद यूरिनल, पार्किंग शेड, उनके एप्रोच रोड एवं फाल्स सीलिंग के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में 04 अदद टायलेट, 04 अदद यूरिनल, पार्किंग शेड, उनके एप्रोच रोड एवं फाल्स सीलिंग के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त निर्गत किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-4/2021/4668/96-आयुष-1-2020-100/2019, दिनांक 08.01.2021 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 08.01.2021 के प्रस्तर-1 के पंक्ति संख्या-7 में अंकित 'धनराशि रू0-67.83 लाख' के स्थान पर ' धनराशि रू0-64.83 लाख' पढा जाय।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2- शासनादेश संख्या-4/2021/4668/96-आयुष-1-2020-100/2019, दिनांक 08.01.2021 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

लक्ष्मण सिंह
उप सचिव।

संख्या-10/2021/4668(3)/96-आयुष-1-20, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) समस्त संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in